

29<sup>4</sup>/<sub>26</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अधिवक्ता वादी को प्रतिवादी के पंजीकृत सम्मन पेश करने बाबत कई अवसर दिये जाने के बावजूद आज दिनांक पेशी तक न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई है। अधिवक्ता वादी का उक्त कृत्य न्यायालय के आदेशों की अवहेलना परिलक्षित होता है लिहाजा पत्रावली अदम तकमिल में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



सहायक क्लर्क एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली